

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 3049 / 5042

दिनांक :- 18/11/2024

आदेश

20-11-24

श्री नरेश कुमार [लिंक नं. 3049] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, अलवर - [19062] जिनकी जन्म तिथि 02/06/1967 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/01/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/01/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री नरेश कुमार की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14/03/1996 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेश कुमार के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव


क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 3049 / 5042

दिनांक :- 18/11/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

20-11-24

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, अलवर
4. कोषाधिकारी अलवर
5. श्री नरेश कुमार [3049] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, अलवर
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)